हुक्म

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 48 / 2019 / बाड़मेर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07.03.2022

अपीलांटगण — **रेस्पोडेंट**

1. उस्मान पुत्र अमीन जाति मुसलमान निवासी ऊटल तहसील शिव जिला बाड़मेर **बनाम** राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 163/2017 बउनवान उस्मान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.03.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एक गरीब काश्तकार है व मूलत गांव ऊटल तहसील शिव जिला बाड़मेर का स्थायी निवासी हूं तथा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि ग्राम ऊटल पटवार हल्का राजड़ाल तहसील शिव में खेत खसरा संख्या 02 रकबा 15 बीघा, खसरा संख्या 03 रकबा 15 बीघा कुल रकबा 30 बीघा की आई हुई जहां अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से सेटलमेंट से पूर्व का कब्जा काश्त है। जहां पर अपीलांट की रहवासीय ढाणियां, पशु बाड़ा, चारागाह, पानी का टांका इत्यादि बने हुए है। अपीलाधीन आराजी वक्त पैमाईश राजस्व अधिकारियों की भूलवंश उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट व उसके पिता के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज नहीं हो पाई और अपीलांट की भूमि के अतिरिक्त भूमि खसरा संख्या 2 व 3 सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई लेकिन अपीलांट का उक्त भूमि पर सेटलमेंट के समय से बहैसियत काश्तकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आराजी को खातेदारी में घोषित किये जाने बाबत वाद पेश किया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। अपील पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट अपीलाधीन आराजी की अपीलांट को खातेदारी नहीं दी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण में अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर

अपीलांट का कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर